न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–75 / 1996–97

राम जनम सिंह वगैरह बनाम शकुन्तला देवी उर्फ मुन्ना देवी

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

4/4/18

आदेश

राम जनम सिंह वो राम जतन सिंह, दोनो के पिता जुगल सिंह, ग्राम–बाबुपुर, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 53 / 1996–97 एवं 69 / 1996–97 में दिनांक 25.01.1997 को पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्ता, पटना के न्यायालय में यह वाद दायर किया गया था।

इस वाद में आवेदकगण के द्वारा शकुन्तला देवी उर्फ मुन्ना देवी, पति देवेन्द्र सिंह, ग्राम–धुपरचक, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना को पक्षकार बनाया गया था।

यह वाद लम्बे समय तक समाहर्ता, पटना के न्यायालय में लम्बित रहा। वर्ष 2013 में यह वाद इस न्यायालय में सुनवाई हेतु भेजा गया। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 14.07.1998 को आवेदकगण के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया कि विपक्षी शकुन्तला देवी का दिनांक 09.06.1998 को निधन हो गया है। आवेदकगण के द्वारा शकुन्तला देवी के स्थान पर उनके निम्न वैध उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया।

1. श्री देवेन्द्र सिंह, पति
2. आशा कुमारी (अव्यस्क) पुत्री
3. संदीप कुमार(अव्यस्क) पुत्र
4. राजु कुमार (अव्यस्क) पुत्र
5. राकेश कुमार (अव्यस्क) पुत्र

दिनांक 20.01.2015 को Substitution petition को allow किया गया।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
नौबतपुर	बाबुपुर	139	73	574	69डी0
			3	19	62डी0
			81	472	3डी0
				423	6डी0
				436	15डी0
				371	39डी0
				392	25डी0
				408	3डी0
				533	18डी0
				कुल	2.40ए0

आवेदकगण का कथन है कि

(1) विवादित भूखण्ड शिवलाल सिंह, पिता संजीवन महतो की थी। आवेदकगण के द्वारा निम्नानुसार पारिवारिक वंशावली दी गयी है।

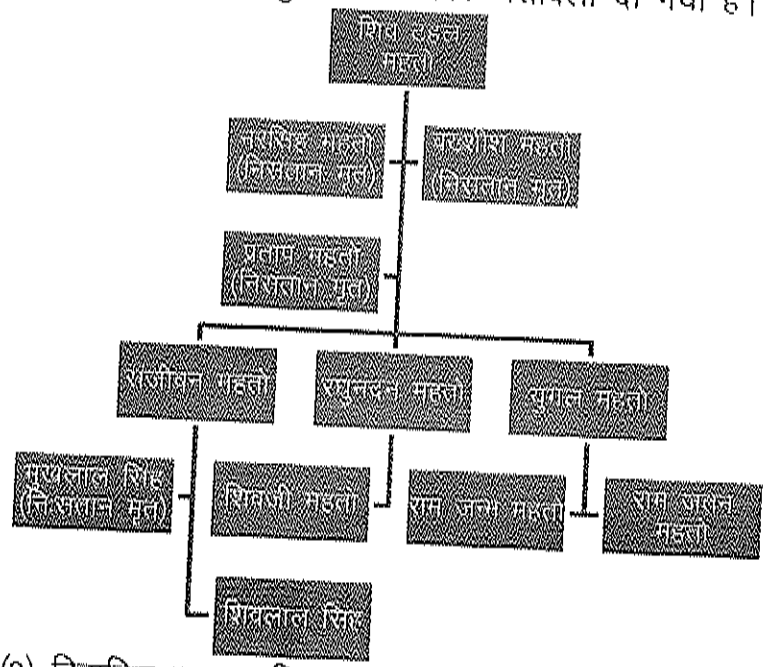

(2) विवादित भूखण्ड शिवलाल सिंह के द्वारा दिनांक 07.08.1982 के निबंधित दान पत्र से अपनी पत्नी दुखनी देवी को लिख दी गयी थी। दुखनी देवी विवादित भूखण्ड पर दखल में आयी तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत होने लगी।

(3) आवेदकगण युगल महतो के पुत्र है। शिव लाल महतो तथा दुखनी देवी की निःसंतान मृत्यु होने के पश्चात आवेदकगण के द्वारा उतराधिकारी एवं दखल के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड में से 1.55 एकड़ भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया।

(4) अंचलाधिकारी, नौबतपुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 82/1995–96 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। विवादित भूखण्ड पर दखल कब्जा एवं उतराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(5) पुनः छूटे हुए भूखण्ड 85डी0 के दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, नौबतपुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 31/1996–97 के अन्तर्गत पुनः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। दखल–कब्जा एवं उतराधिकारी के आधार पर अंचलाधिकारी, नौबतपुर के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(6) विपक्षी शकुन्तला देवी उर्फ मुन्ना देवी के द्वारा स्वंय को शिव लाल सिंह की पुत्री बताते हुए, अंचलाधिकारी, नौबतपुर को आपति दी गयी थी, परन्तु अंचलाधिकारी, नौबतपुर के द्वारा जांचोपरान्त विपक्षी के दावा को गलत पाते हुए आपति खारिज कर दी गयी।

(7) विपक्षी शकुन्तला देवी स्वंय को शिवलाल सिंह की दुसरी पत्नी मुखनी देवी की पुत्री होने का दावा करती है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य/प्रमाण नहीं है। शिवलाल सिंह के द्वारा वर्ष 1982 में अपनी पत्नी दुखनी देवी के दान–पत्र लिखा गया, उसमें भी दूसरी पत्नी का कोई जिक्र

नहीं है।

(8) प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी दुखनी देवी के नाम से कायम थी। दुखनी देवी की मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी एवं दखल कब्जा के आधार पर अंचलाधिकारी के द्वारा आवेदकगण के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। अंचलाधिकारी के दाखिल खारिज वाद सं0 82/1995–96 के विरूद्ध विपक्षी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 53/1996–97 तथा दाखिल खारिज वाद सं0 31/1996–97 के विरूद्ध दाखिल खारिज अपील वाद सं0 69/1996–97 दायर किया गया।

(9) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के तथ्यों के विपरित दाखिल खारिज अपील सं0 53/1996–97 एवं 69/1996–97 स्वीकृत कर ली गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दखल–कब्जा के बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया।

(10) विवादित भूखण्ड के लिए आवेदकगण के द्वारा सब जज–प्रथम दानापुर के न्यायालय में टाईटिल सूट सं0 352/16 दायर किया गया है।

(11) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के आदेश को अवैध बताते हुए, उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण का कथन है कि

(1) शिव टहल महतो के छः पुत्र नरसिंह महतो, बख्शीश महतो, संजीवन महतो, रघुनंदन महतो, युगल महतो एवं प्रताप महतो थे। नरसिंह महतो, बख्शीश महतो एवं प्रताप महतो का देहान्त संयुक्त परिवार में नावल्द हो गया। संजीवन महतो के दो पुत्र पुत्र मुखलाल सिंह एवं शिव लाल सिंह हुए। मुखलाल सिंह नावल्द मर गये। उनकी सारी सम्पति शिवलाल सिंह को प्राप्त हुयी। शिवलाल सिंह की पत्नी मुखनी देवी थी, जिनमें एक पुत्री शकुन्तला देवी उर्फ मुन्ना देवी (विपक्षी) है। शिव लाल सिंह ने पुत्र प्राप्ति हेतु दूसरी शादी दुखनी देवी से की , परन्तु उनसे कोई संतान नहीं हुई। शिव लाल सिंह एवं दुखनी देवी की मृत्यु के पश्चात शिव लाल सिंह की सम्पूर्ण सम्पति पर विपक्षी शकुन्तला देवी का दखल हुआ तथा शकुन्तला देवी के नाम से जमाबंदी कायम होकर रसीद कटने लगी।

(2) दुखनी देवी ने आवेदकगण के विरूद्ध एक सूचना पत्र 187/91 दाखिल किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही दुखनी देवी की हत्या हो गयी, जिसकी प्राथमिकी नौबतपुर थाना में दर्ज की गयी थी।

(3) विवादित भूखण्ड को लेकर विपक्षी एवं आवेदकगण के बीच द0प्र0स0 145 अन्तर्गत वाद चला था, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के द्वारा इस वाद की विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित हुआ। द0प्र0स0 145 में पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद सं0 337/97 दायर किया गया, जो खारिज कर दिया गया।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 53/1996–97 एवं 69/1996–97 में दिनांक 25.01.1997 को पारित आदेश विधि सम्मत है। पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

विपक्षीगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) द0प्र0सं0 145 अंतर्गत वाद सं0 138 (एम)/93 का आदेश

(2) पुनरीक्षण वाद सं0 337/1997 का आदेश

(3) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 53/1996–97 एवं 69/1996–97 का आदेश

(4) दाखिल खारिज वाद सं0 31/1996–97 का आदेश

(5) दाखिल खारिज वाद सं0 82/1995–96 का आदेश

(6) मतदाता सूची वर्ष 1971 की छाया–प्रति

(7) सूचना पत्र सं0 181/91

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) अंचलाधिकारी, नौबतपुर के द्वारा इस वाद के आवेकदगण को उतराधिकारी घोषित करते हुए विवादित भूखण्ड के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी जो उचित नहीं है। अंचलाधिकारी, को उतराधिकारी घोषित करने का अधिकार नहीं है।

(2) अंचलाधिकारी, नौबतपुर के द्वारा इस वाद की विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी को निरस्त कर दिया गया, जो उनके अधिकारक्षेत्र में नहीं था।

(3) इस प्रकार दाखिल खारिज वाद सं0 82/1995–96 एवं 31/1996–97 में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित था।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपील वाद सं0 53/1996–97 एवं 69/1996–97 में अंचलाधिकारी, नौबतपुर के आदेशों को अवैध बताते हुए निरस्त किया गया, जो पूर्णतः उचित एंव विधि सम्मत है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 53/1996–97 एवं 69/1996–97 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 25.01.1997 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विवादित भूखण्ड पर स्वत्व के निर्धारण के लिए आवेदकगण के द्वारा स्वत्व वाद सं0 352/16 दायर किया गया है। आवेदकगण को व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रतिक्षा करनी चाहिए।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

21/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना